भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 29

29.11.2021 को उत्तर के लिए

जलवायु सुभेद्यता सूचकांक

29. श्री रवि किशन:
श्री सुब्रत पाठक:
श्री विद्युत बरन महतो:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री मनोज तिवारी:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद द्वारा प्रकाशित जलवायु सुभेद्यता सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न राज्यों में 80 प्रतिशत भारतीय खतरनाक जिलों में रहते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि देश के 640 जिलों में से 463 जिले अत्यधिक बाढ़, सूखे और चक्रवात की चपेट में आते रहते हैं और इनमें से 45 प्रतिशत जिले बुनियादी ढांचे में बदलाव का सामना कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भौतिक और पारिस्थितिकीय बुनियादी ढांचे को जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाने के लिए जिला स्तर पर एक नया जलवायु जोखिम आयोग गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ड.) क्या रिपोर्ट के अनुसार, केवल कुछ जिलों में ही जिला आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) बनाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा और अधिक जिलों में डीडीएमपी स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) विभिन्न संगठनों द्वारा पैरामीटरों के भिन्न-भिन्न समुच्चयों सहित अनुरूप परिवर्तनशील परिणामों के आधार पर जलवायु सुभेद्यता सूचकांक की गणना की जाती है और उसे प्रकाशित किया जाता है। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईईडब्ल्यू), एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा ''भारत के जलवायु की

सुभेद्यता का मानचित्रण-एक जिला स्तरीय आकलन'' शीर्षक से एक ऐसी ही रिपोर्ट अक्तूबर 2021 में प्रकाशित की गई थी। इसमें बाढ़, सूखा, चक्रवात और उनके प्रशमन प्रभावों को शामिल किया गया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने स्विस विकास और सहयोग एजेंसी, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी और भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरू से अनुसंधान दलों के सहयोग से राष्ट्र-व्यापी सुभेद्यता आकलन का अध्ययन किया है और 'साझा कार्यढांचा का प्रयोग करके भारत में अनुकूलन आयोजना हेतु जलवायु सुभेद्यता आकलन'' शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। अखिल भारतीय आकलन के आधार पर, यह वर्तमान जलवायु और सामान्य संकेतकों (जैव भौतिकी, सामाजिक-आर्थिक और आजीविका पर आधारित संकेतकों) के समुच्चय और सामान्य कार्य प्रणाली के आधार पर संवेदनशीलता के मुख्य कारकों के संदर्भ में भारत में अत्यधिक संवेदनशील राज्यों और जिलों को अभिज्ञात करता है। अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशीलता वाले राज्य-झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, अरूणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल अधिकांश रूप से देश के पूर्वी भाग में स्थित है। असम, बिहार और झारखंड के 60 प्रतिशत से अधिक जिले, उन जिलों की श्रेणी में हैं जो अत्यधिक संवेदनशील हैं।

(ग) जी, नहीं। वर्तमान विधिक और संवर्धक उपाय पर्याप्त रूप से जलवायु परिवर्तन के सरोकारों की पूर्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत में आपदाओं से संबंधित राहत, पुन:प्राप्ति और पुनर्वास, अन्य बातों के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के संगत प्रावधानों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के दिशानिर्देशों, निदेशों और आदेश से प्रशासित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)-चक्रवातों, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक तापमान, आंधी-तूफानों आदि जैसे अत्यधिक विकट मौसमी घटनाओं के लिए शीघ्र चेतावनी देने सहित मौसम और जलवायु की निगरानी, पता लगाने और उसका पूर्वानुमान करने के लिए उत्तरदायी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ड.) एनडीएमए से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर, उपरोक्त सीईईडब्ल्यू रिपोर्ट में दिए गए विवरण के विपरीत, देश के 673 जिलों ने जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं (डीडीएमपी) को तैयार किया है। एनडीएमए ने डीडीएमपी की तैयारी करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019 में एनडीएमए द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) और संबंधित राज्य आपदा प्रबंधन योजनाएं (एसडीएमपी) डीडीएमपी को तैयार करने के लिए समग्र कार्यढांचा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार, राष्ट्रीय मिशनों, जो विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन उपशमन और अनुकूलन का समाधान करते हैं, के माध्यम से राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) को कार्यान्वित कर रही है। तैंतीस राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित राज्य विशिष्ट मुद्दों पर विचार करते हुए, एनएपीसीसी के अनुरूप अपनी राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाएं (एसएपीसीसी) तैयार कर ली हैं।

*****